Phone : +91-0512-2534001-5
Fax : +91-0512-2533812
Website : http:/www.hbti.ac.in
E-mail : director@hbti.ac.in
Telegram: RESEARCH

हरकोर्ट बटलर प्रोद्यौगिकी संस्थान
HARCOURT BUTLER TECHNOLOGICAL INSTITUTE

कानपुर –208002 (भारत)
KANPUR - 208002 (INDIA)

पत्रांकः 229 / एस0पी0एस0 / 2012 दिनांकः 25 / 01 / 2012

:: निविदा सूचना ::

संस्थान परिसर में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोले जाने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापित पूर्व निविदा सूचना जिसमें निविदा प्रपत्र दिनांक 23 / 01 / 2012 तक क्रय करने तथा दिनांक 24 / 01 / 2012 को अपरान्ह 03:00 बजे तक खुलने की तिथि निर्धारित की गई थी, अपरिहार्य कारणों से उक्त निविदा की अवधि दिनांक 06 / 02 / 2012 तक क्रय करने हेतु तथा दिनांक 06 / 02 / 2012 को ही अपरान्ह 03:00 बजे तक खोले जाने हेतु विस्तारित की जाती है। अन्य नियम तथा शर्तें पूर्व विज्ञापित निविदा सूचना दिनांक 11 / 01 / 2012 के अनुसार पूर्ववत् रहेंगी।

for 30.01.2012
(कुलसचिव)

प्रतिलिपिः

1. लेखाधिकारी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित निविदा प्रपत्र लेखा अनुभाग से विक्रय किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. सिस्टम मैनेजर को इस आशय के साथ कि उक्त टेण्डर नोटिफिकेशन संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(कुलसचिव)

हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान,
नवाबगंज, कानपुर–208002

फोन नं0 : (0512)2534001–05 फैक्स नं0: (0512) 2533812

संस्थान परिसर में अतिरिक्त एक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोले जाने हेतु निविदा प्रपत्र/शर्तें

TENDER NO. 27/SPS/ADM
DATED: 12/1/2012

टेण्डर फार्म का मूल्य : रू0 500/–
टेण्डर फार्म प्राप्त करने की अन्तिम तिथि : 06.02.2012 दोपहर 1:00 बजे तक
टेण्डर फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि : 06.02.2012 अपरान्ह 2:00 बजे तक
टेण्डर खोलने की तिथि : 06.02.2012 अपरान्ह 3:00 बजें

कम सं0	संस्थान शर्ते	बैंक द्वारा मान्य हॉ	नहीं
1.	जो भी बैंक अधिकृत किया जाय, उससे विस्तृत चर्चा कर समय–समय पर संस्थान की मांग के अनुरूप सुविधाएं एवं आधुनिकीकरण कर जो भी अन्य सुविधाएं भविष्य में बैंक स्तर पर लागू होगी, प्रदान की जायेगी।	☐	☐
2.	बैंक द्वारा संस्थान के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जो भी वेतन खाते खोले जायें, वह शून्य बैलैन्स पर हों।	☐	☐
3.	बैंक के पास Infrastructure की कमी न हो, जिसके कारण शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों छात्रों को बैंक में जमा–निकासी एवं बैंक सम्बन्धी अन्य कार्यो में असुविधा हो।	☐	☐
4.	शाखा सी0बी0एस0 होगी।	☐	☐
5.	बैंक द्वारा संस्थान के पश्चिमी प्रांगण (West Campus) में भी एक ए0टी0एम0 बूथ स्थापित किया जायेगा।	☐	☐
6.	संस्थान के छात्रों द्वारा समय–समय पर जमा किये गये शुल्क का विवरण संस्थान के लेखा विभाग को उसी दिन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	☐	☐
7.	संस्थान के विभिन्न खातों का अनुरक्षण प्राथमिकता एवं सजगता से करना होगा।	☐	☐
8.	बैंक को संस्थान के उच्चाधिकारियों द्वारा संस्थान के छात्रों एवं कर्मचारियों के हित में दिये गये निर्देशों का त्वरित गति से पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।	☐	☐

Contd…2

9.	बैंक द्वारा शिक्षकों, अधिकरियों एवं कर्मचारियों के वेतन खाते से शून्य एक्सचेन्ज पर डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाये जाने की सुविधा हो।		
10.	संस्थान के फिक्सड डिपाजिट पर बाजार की तुलनात्मक दरों पर अधिकतम ब्याज दिये जाने की सुविधा देय होगी।		
11.	बैंक इन्टरनेट बैंकिंग एवं डेबिट कार्ड की सुविधा युक्त होगी।		
12.	संस्थान के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को Personal Loan, Home Loan and Educational Loan की सुविधा बैंक नियमों के अनुसार सुगमता से कम ब्याज दर पर देय हो।		
13.	बैंक द्वारा छात्रों के पंजीकरण के समय संस्थान की मॉग के अनुरुप अतिरिक्त काउन्टर के माध्यम से बैंक सम्बन्धी कार्य सम्पन्न कराया जाय।		
14.	संस्थान छात्रावास से सम्बन्धित सभी खाते सेंविग खातों के समान (इन्टरेस्ट के दृष्टिगत) खोंलने होंगे जो अद्यतन चालू खाते के रूप मे है।		
15.	वित्तीय वर्ष के अन्त में क्लोजिंग के समय संस्थान के समस्त खातों के ब्याज की स्टेटमेन्ट उपलब्ध कराये जाने की सुविधा होनी चाहिए।		
16.	बैक में संस्थान एवं संस्थान के स्टाफ तथा छात्र–छात्राओं के खातों का ही संचालन होगा तथा बाहर के किसी भी खाते का संचालन नही होगा।		
17.	संस्थान एवं बैंक के मध्य एक एम0ओ0यू0 (Memorandum of Understanding) भी हस्ताक्षर किया जायेगा।		
18.	बैंक को संस्थान परिसर में भवन उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भवन किराया, विद्युत मूल्य एवं जल मूल्य आदि का भुगतान सम्बन्धित बैंक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।		
19.	बैंक को संस्थान के उच्चधिकारियों द्वारा संस्थान छात्रों एवं कर्मचारियों तथा संस्थान हित में समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य रुप से करना होगा।		

(कुलसचिव)